संख्या- 1/2024/206/84-2-2024

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,

उपभोक्ता मामले विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांकः12 मार्च, 2024

विषयः उपभोक्ता फोरमो का सुदृढीकरण योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबंधक एवं नोडल अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पत्र संख्या-9611/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./लेखा/के.स.1/2013 पार्ट-सी दिनांक 28.02.2024 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपभोक्ता फोरमो का सुदृढीकरण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रु. 2860.658 लाख के सापेक्ष पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र धनराशि रुपये 2788.234 लाख में रु.42.08 लाख को जोड़ते हुए उपयोग की गयी कुल धनराशी रु.2830.317 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पत्र दिनांक 28.02.2024 द्वारा उपभोक्ता फोरमो का सुदृढीकरण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष दिनांक 28.02.2024 तक उपभोग की गयी धनराशि रु. 2830.317 लाख का अद्यावधिक स्थिति का फार्म GFR19-A पर उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाणपत्र की सूचना संलग्न कर प्रेषित है। शेष धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक कार्यवाही प्रचलित है। यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 426/84-2-2023 दिनांक 19.10.2023 द्वारा रूपये 34,133/- की धनराशि भारत सरकार को वापस की जा चुकी है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।